THE COURT OF ADDITIONAL DISTRICT & SESSION JUDGE ,COURT No. 5 BULANDSHAHAR (U.P.)

Unique Case ID No. UP2653

SESSION TRIAL NO. 327 of 2019

State ....Vs.............Sushil @Ghora S/o Nandram Jat R/o-Bhainsrauli Ps Salempur present add-Brahm darvaja opposite to the deen dayal park kasba and Ps-B.B. nagar District -Bulandshahr

Crime no. 35/2015

U/s 302/34, IPC

P/s- Pahasu,

district-Bulandshahr

And

SESSION TRIAL NO. 534 OF 2015

State ....Vs.............Sushil @Ghora S/o Nandram Jat R/o-Bhainsrauli Ps Salempur present add-Brahm darvaja opposite to the deen dayal park kasba and Ps-B.B. nagar District -Bulandshahr

Crime no. 104/2015

U/s 25 Arms act

P/s- Pahasu,

district-Bulandshahr

JUDGEMENT

The case in brief is that Rishipal Singh S/o Babu Singh R/o Vill.Bhaisroli Nasirpur Police Station Salempur Distt Bulandshahr lodged a complaint in police station

Pahasu on 08/02/15 that " कि आज दिनांक 7.2.2015 को मेरा भाई सतेन्द्रसिंह व मेरा भतीजा अमित पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम भैंसरौली नासिरपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर अपनेगांव से अपने अपने ट्रैक्टर ट्रोली से सावितगढ गन्ना मिल पर गन्ना डालने आये थे। सावितगढ मील से गन्ना डालने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे औरउनके साथ एक ट्रैक्टर गांव बडौदा व एक ट्रैक्टर गाव रसूलपुर का भी था। समय करीब 10बजे रात में गांव किरयावली से करीब एक किलोमीटर पहले कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो मेरे भाई के ट्रैक्टर को अज्ञात लोगों ने घेरकर मेरे भाई सतेन्द्र पुत्र बाबू सिंह आयु करीब 40 वर्ष में गोली मार दी। गोली लगने से मेरे भाई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आ गयी और मेरा भतीजा अमित व पुलिस मेरे भाई को खुर्जा अस्पताल ले गये वहां डाक्टरों ने मेरे भाई को मृतक घोषित कर दिया। मेरे भाई का शव जटिया अस्पताल में रखा है। मेरे भाई पर गांव में करीब 10–12 दिन पहले अज्ञात लोगों ने फायर भी किया था जिससे वह बच गया। घटनाकी सूचना मेरे भतीजे अमित ने मुझे फोन से दी है। मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। मेरी रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें।"

On this information FIR was registered as FIR no 0021 around 22:00 PM under sec 302 IPC ,Investigation was handed over to SI Gulzar Ahmad . Panchayatnama prepared by SI Jugender Singh and body taken for Postmortem by SI Jugender Singh.

Chargesheet no . 94/15 was filed on against Sushil@ Ghora s/o Nandram R/o Bhaisroli Present address Dindayal Park ,Brahm Darwaza,B.B.Nagar and Aman Kumar S/o Chidda Singh R/o Saidpura P/s Aurengabad under sec 302/307 IPC.

Case was committed to session court on 30/05/2015 after compliance of sec 207 Crpc .

Charge was framed against Sushil@ Ghora s/o Nandram and Aman kumar s/o Chidda Singh under section 302/34 IPC in Crime no. 35/2015.

Charge was framed against Sushil @ Ghora under section 25 Arms act in Cr. no. 104/2015.

Because both the offences under section 302/34 IPC ,Crime no. 35/2015 and offence under section 25 Arms act , Crime no. 104/2015 are committed under same transaction , thus on the request of ADGC criminal both the files are consolidated.

The file of Accused Sushil@Ghora was separated on dated 25.06.2019 from ST 456/2015 State vs Aman kumar.

To bring home the guilt of the accused, the prosecution has examined PWs 1 to 9 and exhibited documents and material objects.

Prosecution witness **PW1 Rishipal Singh** deposed on oath in his cross-examination "मैनें उपरोक्त सभी बातें दरोगाजीको बता दी थी। मैनें दरोगाजी को यह भी बता दिया था कि दाह संस्कार के बाद मैं आपको सारी असलियत बता दूंगा। मेरे भाई को सुशीलउर्फ घोड़ा व गांव के देवेन्द्र के भांजे अमन जो सैदपुरा का रहने वाला है, ने हत्या की है। घटना से 10–12 दिन पहले भी इन्हीं लोगों ने मेरे भाई सतेन्द्र पर गोली चलायी थी जिससे वह बाल बाल बच गया। मेरे भाई सतेन्द्र की इन से मुकदमेबाजी व रंजिश चल रही है।"

In his cross Examination witness deposed that "अमित ने मुझे बताया था कि गांव किरयावली से मिल की तरफ एक किलोमीटर पहले चाचा का ट्रैक्टर घेरकर बदमाशों ने मार दिया। मूझे अमित ने फोन पर बदमाशों के नाम बताये थे। मैने दरोगाजी को यहबात अपने बयानों में बता दी थी। यदि दरोगाजी ने मेरे बयानों में यह बात न लिखी हो कि मेरे भतीज ने बदमाशों के नाम बताये, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। एफ0आई0आर0 में मैनें अभियुक्तगण के नाम इसलिये नहीं लिखाये थे क्योंकि मैं घबराया हुआ था। आज मेरी मानसिक स्थिति सही है। आज मैनें जो बयान दिया कि " समय करीब 10 बजे मेरे भाई के ट्रैक्टर को अज्ञात लोगों ने घेरकरगोली मार दी"। मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। धर्मेन्द्र सिंह मेरे भाई के समधी हैं। मेरे तीसरे भाई भूरा सिंह का मकान सुशील उर्फ घोड़ा के मकान के सामने है।सुशील घोड़ा का छोटा भाई सूनील ने मेरे भाई भूरा के घेर में घुसकर उसकी लड़की के साथ छेड़खानी की थी। जिसका मुकदमा सुनील के विरूद्ध बुलन्दशहर में चल रहा है। इसी के सम्बन्ध में मेरे भाई व सुनील घोडा के बीच मारपीट हुई थी, जिसकी रंजिश है।"

He further deposed that " मैं घटनास्थल पर रिपोर्ट लिखाने के बाद नहीं गया। मैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने के बाद खुर्जा अस्पताल पहुंचा था। अमित मुझे अस्पताल में ही मिला था। अमित से अस्पताल में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अमित से मैनें बात करने की कौशिश की, लेकिन वह रोता रहा और बात नहीं की।"

" मेरे भतीजे ने फोनसे यह बता दिया था कि मैनें बदमाशों को पहचान लिया है। मुझे मेरे भतीजे ने फोन से मुल्जिमान के नाम बता दिये थे। यह कहना गलत है कि मृतक मेरा भाई होने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे भाई को अज्ञात बदमाशों ने मारा लेकिन रंजिश में मुल्जिमान के नाम आज बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे भाई सतेन्द्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है।"

Prosecution witness **PW2 Amit Kumar** deposed on oath in his Examination-in Chief that "हमारे ट्रैक्टर ट्रोली के अलावा दो ट्रैक्टर ट्रोली हमारे साथ और थे। जिनमें एक ट्रोली ग्राम रसूलपुर की थी तथा दूसरी ट्रोली ग्राम बडौदा की थी। चारों ट्रैक्टर ट्रोली में सबसे आगे मेरी ट्रैक्टर ट्रोली चल रही थी। जिसे मैं चला रहा था। उसके पीछे ग्राम रसूलपुर की, उसके पीछे ग्राम बडौदा की, ट्रोली थी तथा उनके पीछे मेरे चाचा सतेन्द्र की ट्रैक्टर ट्रोली थी। रात के करीब दस बजे ट्रैक्टर ट्रोली ग्राम किरावली के जंगल में किरावली गांव के एक किलो मीटर पहले पहुंची तो बराबर में सरसों के खेत में से दोनों लोग हाजिर अदालत अभियुक्त अमन, जो मेरे गांव के मंटूरी उर्फ देवेन्द्र का भांजा है, जो ग्राम सैदपुरा थाना औरंगाबादका रहने वाला है, तथा दूसरा अभियुक्त हाजिरअदालत सुशील उर्फ घोड़ा,जो मेरे गांव का रहने वाला है, निकले, इन दोनों के हाथ में तमंचे थे। ,खेत से निकलते ही इन दोनों ने मेरे चाचा सतेन्द्र के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। इन दोनों को ट्रैक्टर ट्रोली की रोशनी में अच्छी तरह पहचाना व देखा है। रास्ता खराब होने की वजह से चारों ट्रैक्टर चिपट कर चल रहे थे। मैनें व दोनों ट्रैक्टर वालों ने चाचा सतेन्द्र को बचाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हमारे ऊपर भी फायर किये जो हमारे नहीं लगे। हम तीनों ट्रैक्टर वाले अपनी जान बचाकर ग्राम किरयावली पहुंचे। चाचा लहूलुहान हालत में ट्रैक्टर पर ही मौके पर रह गये। मैनें टेलीफोन से अपने घर वालों व पुलिस को सूचना दी थी।"

He further deposed that "सुशील उर्फ घोड़ा का मकान मेरे

बीच वाले चाचा भूरा के मकान के सामने था। घोड़ा का छोटा भाई सुनील ने मेरे चाचा भूरा की लड़की के साथ छेड़छाड़ की तथा घर में उपद्रव किया। जिसकी मेरे चाचा भूरा ने रिपोर्ट की थी। जिसका मुकदमा आज भी बुलन्दशहर चल रहा है। अभियुक्त अमन से मेरे चाचा के लडके के साले भोला निवासी कुतुबपुर ने मु0 17000 रूपये में एक मोटर साइकिल खरीदी थी। बाद में पता चला कि वह मोटर साइकिल चोरी की थी। घटना से डेढ़– दो वर्ष पहले मेरे चाचा सतेन्द्र ने अमन को इसी मोटर साइकिल के मामले में अमन को पुलिस शिकारपुर से पकड़वा दिया था। इसीबात से अमन भी मेरे चाचा सतेन्द्र से रंजिश मानता था। घटना से 10–12 दिन पहले सुशील उर्फ घोडा की शह पर अमन ने संजय, जो मेरा चचेरा भाई है, उसको सतेन्द्र चाचा समझकर शाम के साढे सात बजे फायर किया था, जिससे वह बच गया था। इस घटना की रिपोर्ट अमन के डर की वजह से हमने थाना पर नहीं की थी। मैनें दरोगाजी को वह जगह दिखा दी थी जहां पर अभियुक्तगण ने मेरे चाचा पर गोली चलायी थी। ये सारी बातें मैनें दरोगाजी को बता दी थी।"

In his cross examination PW2 deposed that "सरिता के छेड़खानी के मुकदमे में सुशील उर्फ घोडा अभियुक्त नहीं था।"

He further deposed "मैं अपने साथ जा रहे ट्रैक्टर जो ग्राम बडौदा व रसूलपुर के थे, के मालिकों के नाम नहीं बता सकता। मैनें साथ चल रहे ट्रैक्टर वालों के बयान दरोगाजी को कराने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मैं उन लोगों को जानता नहीं था। मैनें आज तक भी उन लोगों के नाम जानने की कौशिश नहीं की। ग्राम बडौदा व रसूलपुर मेरे ही गांव के पडौस में है। ये मेरे साथ गन्ना लेकर ट्रैक्टर से नहीं गये थे। लौटते समय साथ आ रहे थे। जो ट्रैक्टर हमारे साथ आ रहे थे, उन ट्रैक्टर का नम्बर मुझे याद नहीं है। जिस ट्रैक्टर को मेरे चाचा चला रहे थे उसे पुलिस वाले थाने ले गये थे। दूसरे दिन वापस कर दिया। ट्रैक्टर मेरे चाचा के नाम है। मुझे जानकारी नहीं है कि ट्रैक्टर को किसकी सुपुदर्गी में दिया गया था। ट्रैक्टर सुपुदर्गी में देते समय कोई लिखा पढ़ी की या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेने की कोई कार्यवाही पुलिस ने मेरे सामने नहीं की थी।"
" मैनें 100 नम्बर पर जो सूचना दी थी उसमें बताया था कि हमारे चाचा सतेन्द्र पर दो बदमाशों ने गोली चलायी है। हम पर भी गोली चलायी है। फोन पर किसी गोली चलाने वाले का नाम नहीं बताया था। मैनें अपने ताऊ ऋषिपाल सिंह को फोन पर गोली चलाने वाले के नाम बता दिये थे। मुझे ताऊ ऋषिपाल अस्पताल में मिले थे। उनसे मिलने का समय आज मुझे ध्यान

नहीं है। चाचा सतेन्द्र को पुलिस जीप से अस्पताल खुर्जा ले गये थे। मेरे चाचा सतेन्द्र गोली लगने के बाद नीचे. थे। ट्रैक्टर पर उनका खून लगा था या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है।"

"घटनास्थल से ग्राम किरयावली करीब एक किलोमीटर दूर है। मैनें ग्राम किरयावली में शोर मचाया था। शोर पर लोग मेरे साथ घटनास्थल के लिये चल दिये।मैनें गांव वालों को बताया था कि बदमाशों ने मेरे चाचा पर गोली चलायी है। गांव वाले लोगों में से कोई व्यक्ति मेरे साथ अस्पताल नहीं आया था।"

He further stated that "मैनें दरोगाजी को यह बयान नहीं दिया कि '' इन दोनों के अलावा एक दो बदमाश हो सकता है जिनको मैं शायद अंधेरे में देख पाया हो।'' यह कहना सही है कि ट्रैक्टरों के अलावा और कोई रोशनीनहीं थी। गोली सतेन्द्र चाचा को सामने से चलायी थी। अभियुक्तगण के मुंह सतेन्द्र चाचा की तरफ थे। मैं सबसे आगे वाले ट्रैक्टर पर था। मेरे ट्रैक्टर के पीछे रसूलपुर गांव का ट्रैक्टर था। उसके पीछे ग्राम बडौदा का ट्रैक्टर था।सबसे बाद मे मृतक सतेन्द्र का ट्रैक्टर था। गोली की आवाज सुनकर मैं ट्रैक्टर से उतरकर सतेन्द्र के ट्रैक्टर की तरफ भागा।बडौदा गांव के ट्रैक्टर तक पहुंचा था तो अभियुक्तगण ने चाचा को गोली मार दी। हम लोगों की तरफ भी बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से गोली चलायी। पहली गोली चलने पर मैं ट्रैक्टर से उतरकर पीछे की ओर भागा था। फायर की आवाज सुनकर मैनें पीछे मुड़कर देखा था। ट्रैक्टर की आगे की लाइट जल रही थी। ट्रैक्टर ट्रोला की लम्बाई करीब 16 फुट होगी। मेरे ट्रैक्टर ट्रोली व सतेन्द्र के ट्रैक्टर ट्रोली के बीच में 40 फुट की दूरी होगी।"

He further deposed that "मैनें दरोगाजी के यह बयान नहीं दिया था कि सुशील उर्फ घोड़ा मृतक सतेन्द्र को जान से मारने की धमकी देता रहता था। यदि दरोगाजी ने मेरे बयान में यह बात लिखी है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मुझे गांव किरयावली जाने,शोर मचाने, तथा वापस आने में लगभग 15–20 मिनट लगा होगा। घटना के बाद ग्राम रसूलपुर व बडौदा के ट्रैक्टर अपने अपने घर चले गये थे। ग्राम किरयावली तक तीनों ट्रैक्टर वाले साथ गये थे। ग्राम किरयावली से मैं वापस अकेला आया था। वे लोग अपने गांव चले गये।हमारे अस्पताल पहुंचने के बाद डाक्टरों ने चाचा सतेन्द्र को देखने के 5–10 मिनट बाद मृत घोषित कर दिया था। ताऊ

ऋषिपाल से मेरी बात अगले दिन करीब 12 बजे हुई थी। अस्पताल में हुई थी। ये बात फोन करने के बाद हुई थी। मैनें रात को लाईट में देख लिया था कि

अभियुक्तगण पर क्या क्या हथियार हैं। अभियुक्तगण व सतेन्द्र के बीच गोली चलाते समय 5–6 मीटर का फासला रहा होगा। भोला पुत्र धर्मेन्द्र मृतक सतेन्द्र के लड़के का साला है। मुझे नहीं पता कि वह आजकल जेल में है या नही।"

Prosecution **PW3 Dr.Vinod Kumar** Deposed on oath "उक्त तिथि को मैं इसी पद पर पोस्टमार्टम डयूटी पर था। शव विच्छेदन के दौरान शव के शरीर से एक अंगोछा , एक पैंट, एक अंडरवीयर, एक शर्ट, एक कमीज में नीचे बाइफ एक छेद था। खून में सनी हुई थी एवं पूरी कमीज व दांयी बगल में खून था। एक जर्सी जिसमें उक्त तरीके का छेद था तथा खून में सनी थी। दो जूते दो मोजे थे। शव की पहचान उक्त कर्मियों ने की थी। शव के बाह्य परीक्षण में शव की ऊचाई 165 सै0मी0 वजन 75 किलोग्राम , शरीर की बनावट मध्यम एवं औसत काठी थी। शव को देखने पर पीलापन नजर आ रहा था।शरीर पर पूरी अकड़न थी। पूरे श रीर पर खून के निशान थे। आंखे एवं मुंह अधखुले थे। शव के आंतरिक परीक्षण में हृदय एवं फेफड़े दोनों गुर्दे व तिल्ली सफेद पाये गये।

मृत्यू पूर्व पूरे शरीर पर आयी चोटें :–

1. मल्टीपल लैसीरेटिड वून्ड सिर के ऊपर पाये गये थे। जिनको खोलने पर खून के थक्के पाये गये।

2. आग्नेयास्त्र घाव आकार 2.5से0मी0 गुणा 1.4से0मी0 X मैंडालिलडीप ठोड़ी के सामने जिसके किनारे ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे और घाव के चारों तरफ कालापन था। मैंडालिल हड्डी टूटी पायी गयी थी। चोट नंम्बर 1 व 2 आपस में मिलान खा रहे थे।

3. आग्नेयास्त्र प्रवेश का घाव 4 सेमी0 X 2.8 से0मी0 X पेट की गुहा की गहराई तक बांयीतरफ पेट के अंदर पायी गयी। घाव के किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे एवं काले थे।

घाव को खोलने पर प्लीहा व यकृत फटे हुए पाये गये थे एवं पेट की गुहा में 500 एम0एल0 जमा हुआ खून पाया गया था। घाव की दिशा, घाव के बांई तरफ से पेट में होते हुए सीधी तरफ की बगल में सीधी तरफ के नोंवी व दसवीं पसली को तोड़कर पायी गयी थी।

4. सूजन एवं कालेपन के साथ सीधे बगल के बीच में आकार 6से0मी0 X 4.8 से0मी0 पाया गया। जिसको खोलने पर एक मैटेलिक बुलट बरामद की गयी।

मृतक के पेट में अधपचा खाना फुल था। यकृत, गुर्दा व प्लीहा सफेद थे। मृतक का शव विच्छेदन से करीब 3/4 पूर्व मृत्यु का सम्भावित

समय था। मृत्यु का तत्कालिक कारण अतिरिक्त रक्त स्त्राव एवं सदमा पूर्व आग्नेयास्त्रों से आयी चोटों के कारण होना है।

Witness in his Cross-examination deposed that "मृतक के शरीर पर आयी चोटों का आकार व दिशायें अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखे थे। यह कहना सही है कि चुटैल मृतक ट्रैक्टर पर बैठा हो तथा उसको नीचे से गोली मारी जाये तो ये चोटें आना सम्भव है। ये चोटें सामने से गोली चलानेपर आना सम्भव नहीं है। गोली करीब चार से पांच फुट दूर से गोली मारा जाना सम्भव है।मृतक के शरीर पर पूरी तरह अकड़न पोस्टमार्टम के समय मौजूद थी। मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया समय दो घंटे इधर–उधर हो सकता है।"

Prosecution witness **PW4 S.I. Juginder Singh** Deposed on Oath in examination -in-Chief "पंचायतनामा भरते समय मैनें किसी से यह नहीं पूछा कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। पंचायतनामा भरते समय मैनें मृतक के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया था। उसके शरीर पर मैनें 12 चोटे देखी थी।"

Prosecution Witness **PW 6 Constable Adesh Kumar** Deposed on oath in his Cross examination "कि दिनांक 12.3. 2015 को मैं थाना पहासू पर बतौर कांसटेबल क्लर्क तैनात था।उस दिन मैं एस0एच0ओ0 गुलजार अहमद व राजवीर सिंह के साथ अभियुक्त अमन कुमार को आला कत्ल की बरामदगी की उम्मीद में हवालात से लेकर हथकड़ी पहनाकर जी0डी0 की रपट नं. 22 समय 11.45बजे दिन सरकारी जीप से रवाना होकर दलपतपुर के जंगल में आये तथा अमन कुमार ने बम्बा पर गाड़ी रूकवाकर आगे आगे चलकर कुछ दूरी पर गन्ने के खेत की ओर इशारा करके बताया कि इसी खेत में मैनें तमंचा छिपाया है। ईख का खेत जो देशराज सिंह निवासी दलपतपुर का है, के दक्षिण कोने से 5 कदम अंदर पौलीथीन में लिपटा एक तमंचा 315 बोर निकालकर दिया जिसकी नाल में खोखा कारतूस फसा था। बुराई भलाई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। बरामद तमंचा को पौलीथीन में रखकर एक सफेद कपड़े में रखकर सींकर नमूना मोहर बनाया गया।। यह बरामदगी समय करीब 12.30 बजे दिन

की थी। फर्द मौक पर स्वयं एस0एच0ओ0 गुलजार अहमद ने अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार की थी तथा फर्द पर बतौर गवाह मेरे व एच.सी.पी. राजवीर सिंह के हस्ताक्षर कराये थे।

He further deposed "उसके बाद दिनांक 15.4.2015 को एस0एच0ओ0 गुलजार अहमद, एच0सी0पी0 ईश्वर सिंह के साथ मैं जी0डी0 रपट नम्बर 6.40 समय 19.15 पी0एम0 पर शान्ती व्यवस्था तथा गश्त करते हुए सोही के बम्बे की पुलिया पर आये तो जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अभियुक्त सुशील घोड़ा ग्राम दाऊपुर से चलकर सोमना रोड होकर खेड़ा से किसी वाहन में बैठकर कहीं जायेगा। यदि आप जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है।इस सूचना पर जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया,लेकिन कोई भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। हमने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर नहर पुल खेडा से कुछ दूर गाड़ी खड़ी कर पैदल पैदल चलकर झाड़ियों के पीछे उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे। इतने में ही एक व्यक्ति दाउपुर की तरफ से आता दिखायी दिया। मुखबिर ने कहा कि यही व्यक्ति सुशील उर्फ घोड़ा है। यह कहकर मुखबिर चला गया। इसके बाद हम पुलिस वालों ने आवश्यक बल प्रयोग कर उस आ रहे व्यक्ति को नहर के पुल खेड़ा पर 20.15 पी0एम0 पर पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम घोड़ाउर्फ नंदराम निवासी ग्राम भैंसरोली थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर बताया। जिसकी जामा तलाशी लेने पर पैंट की बांई फैंट से एक तमंचा 315 बोर तथा ऊपर की शर्ट की जेब से दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामद तमंचा कारतूस को कब्जा पुलिस लेकर सर्वसील मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा फर्द एस0ओ0 गुलजार अहमद के बोलने पर एच.सी.पी. ईश्वर सिंह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी जिस पर बतौर गवाही मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त सुशील घोड़ा को देकर उसके भी हस्ताक्षर फर्द पर कराये थे। माल मुल्जिम को लेकर थाने आये । थाना पर धारा 25 आयुद्ध अधिनियम बनाम सुशील घोड़ा कायम कराया।"

In his Cross examination witness deposed "मैं नहीं बता सकता कि थाने से बरामदगी स्थल की कितनी दूरी होगी। बरामदगी स्थल तक पहुचने में आधा पोन घंटा लगा था। अभियुक्त ने ईख के खेत में तड़के करीब 100 मीटर की दूरी से तमंचा निकालकर दिया था। अभियुक्त ने तमंचा लगभग आधा घंटे में दे दिया था। पब्लिक का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। थाने वापस

आने का समय मुझे ध्यान नहीं है।फर्द इंचार्ज गुलजार अहमद ने तैयार की थी। फर्द बरामदगी सड़क पर तैयार की थी। तमंचा को मौके पर हम लोगों ने कपड़े में रखकर सील किया था। मौके पर सील मोहर बंडल तैयार किया गया था। मैने बरामद तमंचा मौके पर देखा था। तमंचा चालू हालत में सही था तथा

नाल अथवा बट टूटी हुई नहीं थी। मैं अमन से तमंचा बरामद करने के बाद जेल में दाखिल करने नहीं गया था। अभियुक्त सुशील उर्फ घोड़ा की गिरफ्तारी दिनांक 15.4.2016 में की गयी थी। मुखबिर द्वारा सूचना इंसपेक्टर साहब को दी गयी होगी। जब अभियुक्त सुशील उर्फ घोडा को गिरफ्तार करने गये थे, उसके पूर्व हमारी डयूटी इंसपेक्टर साहब के साथ हमराह में थी। थाने से पांच–छः किलोमीटर दूरी पर अभियुक्त सुशील उर्फ घोड़ा को गिरफ्तार किया।सुशील घोडा की गिरफ्तारी के पूर्व दो तीन किलोमीटर पहले जानकारी दे दी गयी थी। मुखबिर ने सुशील घोड़ा को 100 मीटर की दूरी से आते हुए बता दिया था कि यही सुशील उर्फ घोड़ा है। पुलिस पार्टी के सभी लोगों ने सुशील उर्फ घोड़ा को पकड़ा था। अभियुक्त ने छूटने का प्रयास किया था। थाने से गिरफ्तारी स्थल तक आने में 20–25 मिनट का समय लगा था। घ टनास्थल से वापस आने में एक घंटे का समय लगा था। सभी पुलिस कर्मचारियों ने अभियुक्त सुशील की तलाशी ली थी। अभियुक्त से एक तमंचा 315 बोर व पैंट शर्ट की जेब से दो कारतूस 315 बोर बरामद हुए थे। तमंचा कारतूस के अतिरिक्त अन्य कोई सामान बरामद नहीं हुआ था ''

Prosecution witness **PW 7 HCP Rajveer Singh** in his examination in chief deposed that 'अभियुक्त ने बम्बे पर गाडी रूकवाकर आगे आगे चलकर कुछ दूर जाकर सामने गन्ने के खेत की ओर इशारा करके बताया कि उस खेत पर चले जिससे मैनें सतेन्द्र की तमंचे से हत्या की थी। तभी अभियुक्त ने ईख के खेत में छिपाया हुआ तमंचा, जो गांव दलपतपुर के देशराज सिंह के खेत में था, ईख के खेत में घुसकर ईख के पेड़ों के नीचे से पत्ते व मिट्टी हटाकर हरी पौलीथीन में लिपटा हुआ एक तमंचा 315 बोर, निकालकर दिया और बताया कि यह वही तमंचा है जिससे मैनें सतेन्द्र की हत्या की थी। तमंचे को खोलकर देखा तो उसमें खोखा कारतूस फंसा था। बरामद तमंचा व खोखा कारतूस को पौलीथीन में एक कपड़ेमें रखकर सर्वसील मोहर किया गया तथा फर्द मौके पर एस0ओ0 गुलजार अहमद द्वारा पढकर गवाही करायी गयी तथा फर्द की नकल अभियुक्त अमन कुमार को दी गयी।''

In his cross examination witness deposed ''हम

अभियुक्त को लेकर मौके पर पहुंचे थे। बरामदगी स्थल से गांव करोरा व अटेरना गांव के लिये रास्ता जाता है।यह रास्ता अमूमन चलता रहता है। जिस खेत में बरामदगी होना बताया जाता है, वह देशराज सिंह का खेत है। इनका गांव पास में ही है। लेकिन गांव का नाम याद नहीं है। जिस खेत से बरामदगी हुई थी वह ईख का खेत था। ईख काफी बड़ी थी। रास्ते से 4–5

कदम की दूरी पर जो खेत की मैंड थी, से 4–5 कदम अंदर था। बरामदगी पूरव दक्षिण दिशा में करायी थी। उपरोक्त तमंचा पौलीथीन में रखकर जमीन में छिपाया हुआ था। वहां पर ईख की फसल थी। वह करीब एक बालिस्त गहरा दबा था। पौलीथीन हरे कलर की थी। यह बात सही है कि बरामदगी स्थल की दूरी रास्ते से 4–5 कदम है। बरामदगी के समय आसपास गेंहू की फसल थी। लेकिन किसान काम नहीं कर रहे थे। उपरोक्त बात हमने लिखना उचित नहीं समझा कि खेत में किसान व मजदूर काम नहीं कर रहे थे।''

Prosecution witness **PW 8 Inspector Guljar Ahmad** in his examination in chief deposed that "एक पुलिंदा सफेद कपडे में लिपटा हुआ निकला, जिसकी सील खुली हुई थी। सफेद कपडे पर 25 ए.एक्ट बनाम सुशील उर्फ घोड़ा अपराध सं0 104/15 लिखा हुआ है। इस पर मेरे हस्ताक्षर दि. 15.4.2015 हैं तथा अभियुक्त सुशील उर्फ घोड़ा के हस्ताक्षर हैं। सफेद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 17 डाला गया। खोले जाने पर अंदर से दो जिंदा कारतूस के.एफ.निकले। जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 18 व 19 डाला गया। इसके अलावा एक तमंचा लोहे की स्प्रिंगदार निकला, जिसकी चाप लकड़ी की थी, निकला। इस पर वस्तु प्रदर्श 20 डाला गया। गवाह ने कहा कि खोखा कारतूस व तमंचा अभियुक्त सुशील उर्फ घोड़ा से बरामद हुआ था। तमंचा व कारतूस अभियुक्त सुशील उर्फ घोड़ा से गिरफ्तारी के समय बरामद हुआ था। "

Prosecution witness **PW 9 Retired Sub inspector C.P Shrivastava** in his examination in chief deposed that " दिनांक 15.4.2015 को मैं थाना पहासू पर तैनात था। उस दिन फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर शिकायतकर्ता गुलजार अहमद के द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 104 सन 2015 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना पहासू पर सुशील उर्फ घोड़ा की चिक कां0 315 विनीत कुमार द्वारा प्रमाणित की गयी और उन्होनें कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द अंकित की थी। उनको मैं पहचानता व जानता हूँ। उनके द्वारा ही अंकित की गयी थी जो

पत्रावली पर 11बी/8. मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। उसी दिन जी0डी0 सं0 47 में खुलासा मु0अ0सं0 104/2015 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम किया गया। सरकार बनाम सुशील घोड़ा अंकित किया गया जो कां0 355 विनीत कुमार ने खुलासा किया था। जो उनके लेख में है। जो पत्रावली पर कागज सं0 8ए/1 है जिस पर प्रदर्श क–17डाला गया। मेरे द्वारा दिनांक 16.4.2015 को उक्त उपरोक्त की विवेचना गृहण की गयी। पर्चा प्रथम में नकल

चिक , नकल रपट नकल व बयान लेखक एफ0आई0आर0, विनीत कुमार, बयान वादी एस0एच0ओ0 गुलजार अहमद, के द्वारा अंकित किया गया। अभियुक्त सुशील उर्फ घोडा के बयान अंकित किये गये। दिनांक 17.4.2015 को हैड कांसटेबल ईश्वर सिंह व कां0 आदेश कुमार के बयान अंकित किये गये। उसके बाद एस0एच0ओ0 गुलजार अहमद को साथ लेकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया जो पत्रावली पर कागज सं0 7–ए मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया तथा दिनांक 21.4.2015 को अभियुक्त सुशील उर्फ घोड़ा के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। कागज सं0 3ए1 डाला गया। जिस पर प्रदर्श क–19 डाला गया। उसके उपरान्त श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से दिनांक 25.5.2015 को अभियोजन स्वीकृति की गयी। जो पत्रावली पर 8ए1 है जिस पर प्रदर्श क–20 डाला गया।"

In his cross examination witness desposed that " मुझे उक्त मुकदमे की विवेचना दिनांक 16.4.2015 को प्राप्त हुई। विवेचना मुझे एस0एच0ओ0 गुलजार अहमद द्वारा एलाट की गयी। यह कहना गलत है कि मैनें नक्शा नजरी थाने पर बैठकर तैयार की हो और मैं घटनास्थल पर न गया हूॅ। यह कहना भी गलत है कि हमने चार्जशीट भी थाने पर ही तैयार की हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त से जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह वादी के कहने पर प्लॉट किया गया हो। यह कहना भी गलत है कि उक्त केस से सम्बन्धित सभी विवेचना आपने थाने पर बैठकर की हो और न कभी मौके पर गये व किसी का बयान ही अंकित किया हो।"

The object of Section 313 (1)(b) Cr.P.C. is to bring the substance of accusation to the accused to enable the accused to explain each and every circumstance appearing in the evidence against him. The provisions of this section are mandatory and cast a duty on the court to afford an opportunity to the accused to explain each and every circumstance and incriminating evidence against him. The examination of accused under Section 313 (1)(b) Cr.P.C. is

not a mere formality. Section 313 Cr.P.C. prescribes a procedural safeguard for an accused, giving him an opportunity to explain the facts and circumstances appearing against him in the evidence and this opportunity is valuable from the standpoint of the accused. The real

importance of Section 313 Cr.P.C. lies in that, it imposes a duty on the Court to question the accused properly and fairly so as to bring home to him the exact case he will have to meet and thereby, an opportunity is given to him to explain any such point. When examined under sec 313Crpc accused Sushil @ Ghora claimed that He is innocent and was implicated out of enmity .

Court will here first examine the ingredients of sec 300 IPC.

Section 300 in The Indian Penal Code

300. **Murder.**—Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or—
(Secondly) —If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or—
(Thirdly) —If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or—
(Fourthly) —If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. Illustrations

(a) A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in consequence. A commits murder.

Here the essential of murder is number and kind of injury inflicted on the deceased, if the injuries are sufficient to cause death of deceased , it was not possible

to uphold the contention that there was no intention to kill **(Prabhu v state of MP)CrLJ 1373(1373-1374)(SC).**

The motive must be relevant to the act, because the motive can be uncertain The description above says that under sec 300 IPC act does not required to have a motive. Well, the word "not required" does not mean that it does not need a motive, the motive is still needed. Why motives are still needed, because motives are an inseparable part of the intention or state of mind when actions result in loss of life.

About Motive in the case deceased earlier complaint about the act of molestation of his cousin sister Sarita D/o Bhura , by younger brother of Sushil Ghora earlier, for which case is pending in Bulandshahar and secondly, there was dispute about a stolen motorcycle between Aman and Satendra's relative which Aman Sold them in Rs17000/- which later revealed to be stolen one ,about which Satendra informed police and case was filed against Aman for theft , Aman and Sushil Ghora had a grudge against Satendra .

Around ten days earlier Aman fired on Sanjay other brother of Satendra who narrowly escaped the attempt . Thus in the present case the motive has been established and proved.

The role attributed to Aman and Sushil Ghora was that they used countrymade pistol and caused gunshot

injuries on the deceased. The court find that eyewitness in case was reliable and trustworthy and sequence of events narrated by him was quite natural and creates no doubt in the mind of court and he specifically stated that Aman fired from the gun and deceased sustained injuries and fall from the Tractor The injury by Gun has been established and proved from medical evidence and the desposition by Dr Vinod Kumar that there were three

bullet injuries by gun shot .therefore it is not possible to reject the credible ocular evidence of eye witness who witnessed the shooting , it is the nature of injury; the part of body where injury is caused; the weapon used in causing such injury which are the indicators of the fact whether the accused caused the death of the deceased with an intention of causing death or not, the circumstances in which the injury is caused and the manner in which the injury is inflicted are all relevant factors which may go to determine the required intention or knowledge of the offender and the offence committed by him. In the instant case, the deceased was disabled from saving himself because he was sitting on tractor unaware of fact that someone is hiding in sugarcane fields.

These facts clearly establish that the accused had the intention to kill the deceased. He shot at Deceased with the intention of killing him and in consequence he died ,which establish that Aman and Sushil Ghora had committed the murder of Deceased.

In any event, he can safely be attributed the knowledge that the gunshots fired by him were so imminently dangerous that they must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death.”

Where evidence of both eye witnesses reliable and well corroborated by medical and other evidence on record inspires confidence that accused had intention to kill deceased then conviction is liable to be sustained; ***Robba Ramanna Dora Vs. State of Andhra Pradesh, 2000 Cr LJ 118 (AP)***

Where ocular evidence is explicit and fully supported by medical evidence and evidence of other witnesses and evidence of witnesses who apprehended the accused after one hours of occurrence with blood stained

weapon then absence of proof of motive will not render the entire prosecution case unbelievable, therefore, charge of murder against accused proved beyond all reasonable doubt; ***Ram Nath Novia Vs. State of Bihar, 2000 Cr LJ 318 (Pat).***

Where the evidence of eye witnesses regarding assault to deceased by accused persosns was truthful, reliable and clearly corroborated by medical evidence and common intention of accused persons to commit murder of deceased also proved therefore conviction under section 300/34 is proper: ***Ratan Debnath Vs. State of Tripura, 2000 Cr LJ 237 (Gau)***.

The cumulative effect of all these factors irresistibly leads to one and the only conclusion that the accused intended to cause death of the deceased." Here it is proved and established that there was motive and prior enmity between accused and deceased.

The Court heavily relies upon the depositions of PW1 and PW2 (eye witness) and also the medical evidence and the deposition of Dr. Vinod Kumar – PW5 who conducted the post-mortem on the body of the deceased

It is vehemently submitted that so far as PW2 is concerned, his presence on the spot at the time of the incident is absolutely undoubtful. From the ocular evidence as well as medical evidence, it is clear that they caused injuries on the deceased . It is submitted by PW2 in his cross examination that the moment deceased received gun shot injury he fell down from the tractor. It is submitted that Dr. vinay Kumar has specifically admitted that three injuries are gun shot injuries. It is further submitted that it has also come in evidence that as per the ballistic report bullet match with the alleged pistol used by the accused Sushil Ghora.

It is true that both, PW1 & PW2 are trustworthy and reliable witnesses. It is submitted that presence of PW2 at the time of incident has been established and proved by the prosecution by examining PW1 & PW2. It is submitted that both, PW1 & PW2 have been fully and thoroughly cross-examined and considering the entire evidence/deposition of PW1 & PW2, PW 2's presence at the time of incident has been established and proved.

It is submitted that on each and every aspect on which the learned counsel appearing on behalf of the accused defence has made submissions, PW1 and PW2 were cross-examined. It is submitted that thereafter on appreciation of entire evidence on record, it is submitted that in the present case the motive has been established and proved. the defence has failed to establish and prove that they were falsely implicated in the case.

It is submitted that the aforesaid defence is not borne out at all either from the deposition of PW1, PW2 It is submitted that as such the prosecution has fully established and proved that on presence of PW2 at the time of incident has been established and proved. It is submitted that PW2 has consistently stated that he saw the

accused shooting towards the deceased and he witnessed the accused no.1 – Aman and Accused -2 Sushil ghora and few others shooting the deceased .

The statements of the witnesses have inspired the confidence of the Court and have been held to be credible and reliable. PW2 have specifically stated that it was the Aman and Ghora who fired and caused injury on the deceased which is fully supported by the medical evidence – injury were a gun shot injuries on the deceased and therefore on the aforesaid aspect, PW2 are fully supported by the medical evidence,

It is submitted that there is a recovery of gun at the instance of Accused, which was used by Accused for commission of the offence. PW6 Deposed on oath that They found Sushil Ghora' s location by an informant and found him on the brige of Nahar and using force caught him around 20.15 PM and when inquired he told that his name is Sushil Ghora Resident of Village Bhaisroli Police station Salempur Distt Bulandshahr on Searching his person one country made pistol of 315 Bore and two live cartiradges were recovered from pocket of shirt, which were sealed and his signature were taken on it .

The recovery of Weapon of Crime at the instance of accused conclusively established the guilt of accused. Even in the recovery memo which was immediately taken during the course of investigation had the signatures of accused. Which established offence under section 25 of Arms Act.

Having gone through the entire depositions of PW1 & PW2 and even the cross-examination of the aforesaid two witnesses, we are of the firm opinion that both, PW1 & PW2 are trustworthy and reliable witnesses. Their presence at the time of incident of PW2 with the deceased

has been established and proved by the prosecution. PW1 is the nephew of the deceased who accompanied the deceased to deliver the sugarcane in mill.. Both the witnesses have been fully and thoroughly cross-examined. There may be some minor contradictions, however, as held by this Court in catena of decisions, minor contradictions which do not go to the root of the matter and/or such contradictions are not material contradictions, the evidence of such witnesses cannot be brushed aside and/or disbelieved.

In the present case, both the aforesaid witnesses are

thoroughly cross-examined on each and every aspect pointed out by the defence. However, they have fully supported the case of the prosecution.

From the entire evidence on record, it is established and proved that the deceased was murdered by Aman and Sushil@ Ghora by Gunshot injuries. Aman kumar is already convicted under section 302/34 IPC and 25 Arms Act by judgement dated 13/12/2021.

Considering the entire deposition as a whole, we are of the opinion that the prosecution has been successful in proving the presence of PW2 at the time and place of incident. He is found to be trustworthy and reliable.

The injury by the gun has been established and proved from the medical evidence and the deposition of Dr. vinod Kumar PW3. Therefore, it is not possible to reject the credible ocular evidence of PW2 – eye witnesses who witnessed the shooting. It has no bearing on credibility of deposition of PW2 that Accused shot deceased with a gun, particularly as it is corroborated by bullet in the body and also stands corroborated by the testimony of PW2 & PW3.

Therefore, Sushil @ Ghora convicted for the offence punishable under Section 302/34 IPC .His presence and participation have been established and proved by the prosecution by examining PW2 who are found to be reliable and trustworthy witness. Recovery of Gun at the instance of Accused Sushil @ Ghora proves his implication under the offence punishable under section 25 Arms Act.

In the present case, the prosecution has been successful in proving the motive. There was a prior long-time enmity between the deceased and the accused The

defence has failed to prove any circumstances by which it can be said that they are falsely implicated in the case.

ORDER

In the above scenario, having examined the evidences led by the prosecution during the trial, this court convicts accused Sushil @Ghora under Section 302/34 of the IPC and 25 of Arms Act. The accused is in jail. Hearing of sentence will be done on 05/03/2022.

Date- 04/03/2022 (Smt Neelam Dhaka)

Additional district and session judge

court no. 5 bulandshahr

ORDER ON SENTENCE:

05-03-2022

Heard arguments on sentence qua the convict Sushil @ Ghora . Ld. Counsel for the convict has vehemently argued that the convict Sushil @ Ghora has clean antecedents and he is not involved in any other criminal case.

It is further argued by the Ld. Counsel for convict that he is of young age and only earning head in family. It is prayed that a lenient view be taken against him.

On the other hand the Ld. A.D.G.C (Criminal) has has argued that keeping in view the facts and circumstances of the present case, there is no alternative before this court but to impose death sentence upon the convict Sushil @ Ghora . It is also stated that the convict has not been able to show any mitigating circumstances in his favour which could make out a case for imposition of sentence of imprisonment for life.

I have considered the submissions made before me. At the very outset, I may state that there can be no dispute as to the applicability of the various principles as laid down by Hon'ble Supreme Court of India in the aforesaid two cases viz ***Machhi Singh (Supra) and Bachan Singh (Supra)*** which are required to be keep in mind before awarding a death sentence in any given case. The law is well settled in the decision in ***Bachan Singh Vs. State of Punjab [AIR 1980 SC 898]***, wherein it was held that the death penalty can be inflicted only in the gravest of the grave cases. It was also held that such death penalty can be imposed only when the life imprisonment appears to be inadequate punishment. Again it was cautioned that while imposing the death sentence, there must be balance between circumstances regarding the accused and the

mitigating circumstances and that there has to be overall consideration of the circumstances regarding the accused as also the offence.

Some aggravating circumstances were also called out, they being:−

(a) Where the murder has been committed after previous planning and involves extreme brutality; Or

(b) Where the murder involves exceptional depravity.

The mitigating circumstances which were mentioned in that judgment were:−

(a) That the offence was committed under the influence of extreme mental or emotional disturbance;

(b) The age of the accused. If the accused is young or old, he shall not be sentenced to death;

(c) The probability that the accused would not commit criminal acts of violence as would constitute a continuing threat to society;

(d) The probability that the accused can be reformed and rehabilitated. The State shall by evidence prove that the accused does not satisfy the conditions (c) and (d) above;

(e) That in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justified in committing the offence;

(f) That the accused acted under the duress or domination of another person; and

(g) That the condition of the accused showed that he was mentally defective and that the said defect impaired his capacity to appreciate the criminality of his conduct.

The law was further settled in the decision in ***Machhi Singh & Ors. Vs. State of Punjab [AIR 1983 SC 957]***, wherein the Hon'ble Supreme Court insisted upon the mitigating circumstances being balanced against the aggravating circumstances. The aggravating circumstances were described as under:−

(a) When the murder is in extremely brutal manner so as to arouse intense and extreme indignation of the community.
(b) When the murder of a large number of persons of a particular caste, community, or locality is committed.
(c) When the murder of an innocent child, a helpless woman is committed. It was also observed by the Hon'ble Court that at the same time it must be kept in mind that the principle of there being a proportion between punishment and offences ought not to be so mathematically followed so as to render the laws subtle, complicated and obscured. Brevity and simplicity are a superior good. Something of exact proportion may also be sacrificed to render the punishment more striking, more fit to inspire people with a sentiment of aversion for those vices which prepare the way for crimes. The Hon'ble Apex Court has time and again stressed upon the need for awarding the punishment for a crime which should not be irrelevant but should conform to and be consistent with the atrocity and the brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorrence of crime and responding to the society's

cry for justice against the criminal. (Ref. Ravji Vs. State of Rajasthan reported in 1996 (II) SCC 175). Punishment ought to fit the crime and sometime it is the desirability to keep the offender out of circulation.

Now I would like to draw a balance sheet of aggravating and mitigating factors. There is no mitigating factors in the present case as the convict is involved in many other case except he is young and has old aged parents behind. The aggravating factors are that the convict Sushil @ Ghora had committed the murder of Satendra in a brutal manner .

After having considered the submissions made before me and the various mitigating factors which outweigh the aggravating circumstances, I am of a view that the case in hand certainly does not fall within the category of Rarest of Rare and; Therefore, the following orders passed as follows:

I Sentence to Convict Sushil @ Ghora as:

Sr. No.	**Name of Accused**	**Convicted under Section IPC**	**Imprisonment**	**Fine**	**Imprisonment in lieu of fine**
1.	Sushil @ Ghora	302/34 IPC	Life Imprisonment	20,000/-	Two Month

Sr. No.	**Name of Accused**	**Convicted under Section IPC**	**Imprisonment**	**Fine**	**Imprisonment in lieu of fine**
1.	Sushil @ Ghora	25 Arms Act	two years imprisonment	5000/-	One Month

It is clarified that both the sentences shall run concurrently. Benefit of Section 428 Cr.P.C. shall be given to the convict person for the period undergone by them during the trial.

It informed that convict person have a right to prefer an appeal against the judgment. The convicted has been apprised that in case they cannot afford to engage an advocate, they can approach the Legal Aid Cell.

In terms of Section 31 IPC, punishment awarded to convict Sushil @ Ghora shall run concurrently.

Copy of the judgment and order of sentence be given to the convict free of costs and another be attached with jail warrants. Mal mukadma to be disposed according to the rule after the expiry of period of Appeal.

One copy of this judgement is placed in File ST 534/2015 State vs Sushil @ Ghora u/s 25 Arms Act.

File be consigned to Record Room.

Dated 05/03/2022 (Neelam Dhaka)
Additional District and Session
Judge Court no.05, Bulandshahr.

The judgment is signed, dated and pronounced in open court by me.

Dated 05/03/2022 (Neelam Dhaka)
Additional District and Session
Judge Court no.05, Bulandshahr.